सुरक्षा, शांति और समृद्धि

सजग भारत

◂ 1–31 मई, 2024 ◂ वर्ष : 2 ◂ अंक : 3/4, (संयुक्तांक)

निःशुल्क प्रति

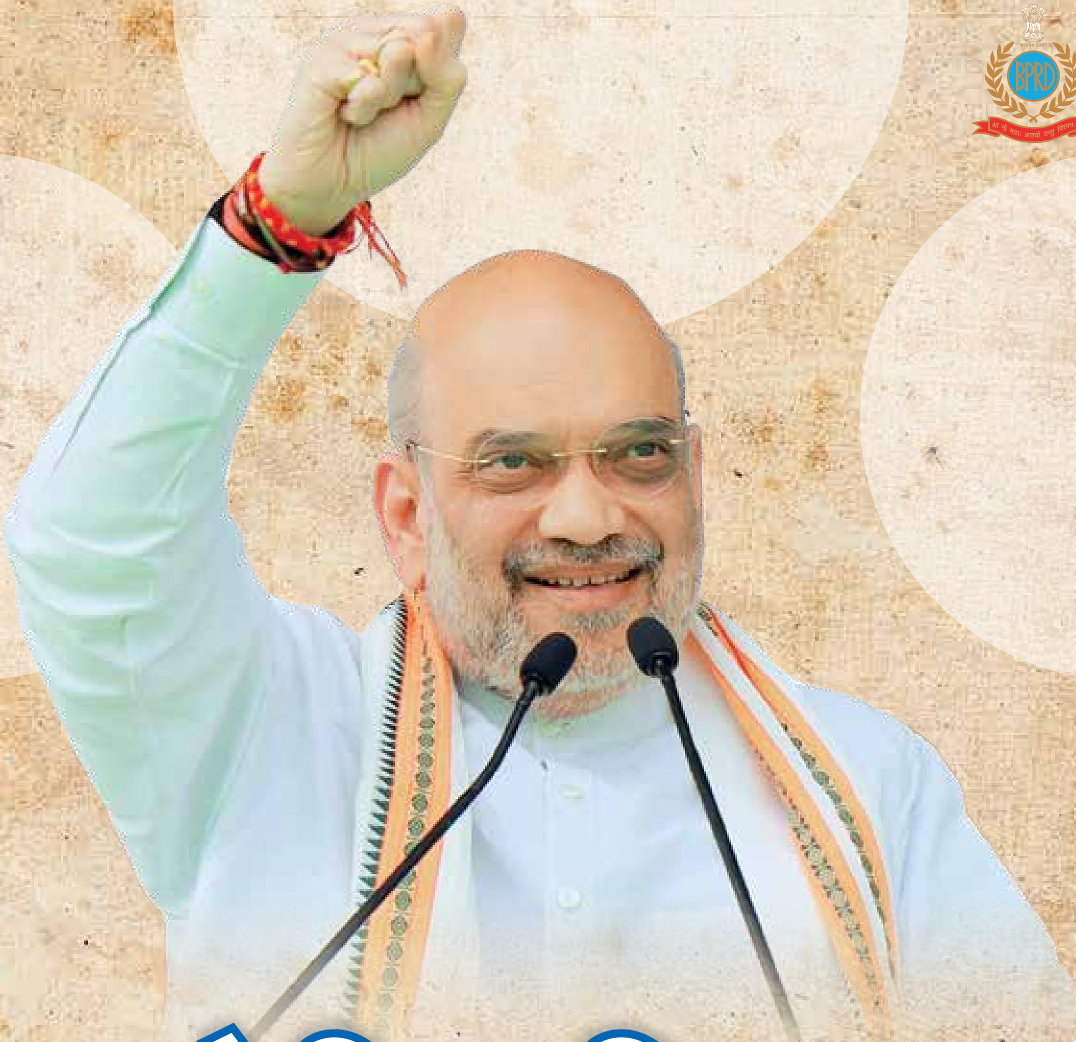

ऐतिहासिक

निर्णयों का दशक

मजबूत सुरक्षा नेटवर्क से सुरक्षित होता भारत

अनुक्रमणिका

जेल प्रशासन में सुधार और पारदर्शिता 15
सीएए से मिलेगी वंचितों को नागरिकता 17
तीनों नए कानून पूरी तरह से लागू होने के बाद सबसे आधुनिक... 20
मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया... 22
आपदाओं का स्वरूप, फ्रीक्वेंसी और बढ़ी है तीव्रता... 23
त्वरित समाधान के लिए तत्पर गृह मंत्रालय 24
आतंकवाद विरोधी कानूनों को मजबूत किया 25
सुरक्षा बलों की मजबूती से दिख रहे हैं सकारात्मक परिणाम 26
गेस्ट कॉलम 30

विशेष रिपोर्ट

05 ऐतिहासिक निर्णयों का दशक

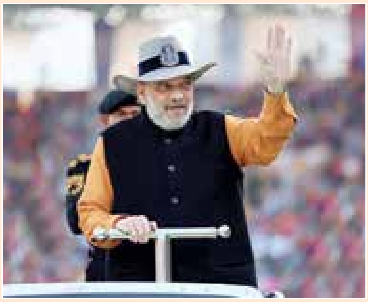

10 मजबूत सुरक्षा नेटवर्क से सुरक्षित होता भारत

29 सतर्कता से हुई सुरक्षा

संपादक की कलम से...

केंद्रीय गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा, सीमाओं, केंद्र-राज्य संबंधों, केंद्र शासित प्रदेशों, विभिन्न पुलिस संगठनों, आपदा प्रबंधन आदि के प्रबंधन सहित कई जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। इन क्षेत्रों में पिछले एक दशक में, मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

ब्रिटिश काल के पुराने कानूनों को निरस्त करके तीन नए आपराधिक कानूनों की शुरूआत, आपराधिक न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण की आवश्यकता गृह मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को 'नागरिक पहले-न्याय पहले-गरिमा पहले' के सिद्धांत पर न्याय सुरक्षित करने के लिए तैयार किया गया है।

एक और महत्वपूर्ण निर्णय अनुच्छेद 370 को निरस्त करना है, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया है। यह कदम संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के लिए उठाया गया। इससे दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख - में विकास और लोकतंत्र की दिशा में सकारात्मक तथा प्रगतिशील परिवर्तन हुए हैं।

आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव वाले निर्णयों में, 'वामपंथी उग्रवाद को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' से बीते वर्षों में वामपंथी उग्रवाद परिदृश्य में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम 2019 ने आतंकवाद विरोधी कानून को मजबूत किया है, जो आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संस्थागत ढांचे का पूरक है।

> आंतरिक सुरक्षा पर परिचालन प्रभाव वाले निर्णयों में, 'वामपंथी उग्रवाद को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' से बीते वर्षों में वामपंथी उग्रवाद के नियंत्रण में अभूतपूर्व सुधार हुआ है।

सरकार उत्तर पूर्व क्षेत्र में विद्रोही और उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति का पालन कर रही है। कई संगठन सरकार के साथ बातचीत के लिए आगे आए हैं और अपनी गतिविधियों को स्थगित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ क्षेत्रों से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को हटा दिया है और उत्तर-पूर्वी राज्यों में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

देश में ड्रग कानून प्रवर्तन को बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय की कार्य योजना के हिस्से के रूप में और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशों के अनुसार, विभिन्न केंद्रीय तथा राज्य हितधारकों के बीच समन्वय को सुविधाजनक बनाने के प्रयास में, एन कोर्ड (NCORD) को चार स्तरीय समन्वय तंत्र में पुनर्गठित किया गया है। गृह मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, निदान पोर्टल, ई-मालखाना प्रणाली आदि की स्थापना के साथ साइबर-सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। इसी तरह, आपदा प्रबंधन प्रणाली को भी नया रूप दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक आपदाओं का सफल प्रबंधन किया जा रहा है। ऐसी कई पहलें की गई हैं एवं सबको यहां सूचीबद्ध करना मुश्किल है।

'सजग भारत' का यह अंक पिछले एक दशक के प्रमुख फैसलों पर प्रकाश डालता है। कृपया अपने विचार और प्रतिक्रिया पूर्व की भांति हमसे ईमेल sajag-bharat@bprd.nic.in पर साझा करते रहें।

जय हिंद!
महानिदेशक, बीपीआरएंडडी

हमारे जनजातीय समाज के बेटे और बेटियां भी आसानी से डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बन सकें, इसलिए हमने स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने का फैसला किया।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

धारा 370 इतिहास है और सीएए वास्तविकता है...

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हर वर्ग के नागरिकों के जीवनस्तर में अभूतपूर्व सुधार से उन्हें स्वाभिमान से जीने का हक मिला है।

श्री निशिथ प्रामाणिक
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

साइबर अपराधियों द्वारा पुलिस, NCB, CBI, RBI और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों का रूप धारण कर साइबर अपराधियों द्वारा 'ब्लैकमेल' और 'डिजिटल अरेस्ट' की घटनाओं के खिलाफ अलर्ट!

गृह मंत्रालय
भारत सरकार

ऐतिहासिक
निर्णयों का दशक

ब्यूरो

एक नए राष्ट्र के रूप में भारत ने 1947 में औपनिवेशिक बंधनों और रूढ़िवादी परंपराओं के बोझ से संघर्ष किया। पिछले कुछ वर्षों में भी देश को शांति बनाए रखने और विकास की गति को तेज करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके लिए देश में राज्यों के बीच आपसी सहयोग के साथ-साथ सभी क्षेत्रों में एकता और अखंडता के लिए बढ़े हुए प्रयासों की आवश्यकता थी। इसके साथ ही समाज से उन बाधाओं को भी हटाने की जरूरत

> **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत के लोगों से संबंधित लगभग 150 साल पुरानी आपराधिक न्याय प्रणाली को संचालित करने वाले तीन कानूनों में बदलाव किए गए हैं।**
>
> **श्री अमित शाह**
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

थी, जो देश की आधी आबादी का गठन करने वाली नारी शक्ति के लिए अनुचित थीं।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नए भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए श्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई ऐतिहासिक फैसलों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत के राजनीतिक एवं सामाजिक परिदृश्य को नया रूप दिया है। इन फैसलों से न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिली है, बल्कि सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा मिला है। इनके माध्यम से शासन को सुव्यवस्थित किया गया है और आतंकवाद एवं उग्रवाद पर अंकुश लगाया गया है।

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से लेकर नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन तक, मंत्रालय के कार्यों ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को संबोधित किया है और एक अधिक एकीकृत और सुरक्षित राष्ट्र के लिए आधार तैयार किया है। पिछले एक दशक में गृह मंत्रालय द्वारा लिए गए ये महत्वपूर्ण निर्णय भारत की प्रगति पर उनके गहरे प्रभाव को उजागर करते हैं।

> **अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से जम्मू-कश्मीर का देश के बाकी हिस्सों के साथ पूर्ण एकीकरण हो गया है। जम्मू-कश्मीर भारत का मुकुट है और जम्मू-कश्मीर की असली पहचान इसका सभी धर्मों के प्रति समतावादी रवैया और इसकी सूफी परंपरा है।**
>
> **श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री**

पिछले दशक में, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए कई ऐतिहासिक पहलों को लागू किया है, जिनमें उन्नत

निगरानी प्रौद्योगिकियों की तैनाती और खुफिया ढांचे का सुदृढ़ीकरण शामिल है। ये कदम भारत की सीमाओं और आतंरिक सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने भारत की सीमाओं पर एक बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड का कार्यान्वयन किया है। इसके अंतर्गत, ड्रोन और थर्मल इमेजर्स जैसी उन्नत निगरानी प्रौद्योगिकियों की तैनाती की गई है। ये तकनीकें दूर-दराज के क्षेत्रों में भी घुसपैठ और संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने में अत्यंत प्रभावी साबित हुई हैं। आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सफल ऑपरेशन, जिसके परिणामस्वरूप कई हाई-प्रोफाइल आतंकवादियों को मार गिराया गया और आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट कर दिया गया, आतंकवाद विरोधी अभियानों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने सक्रिय खतरे को कम करने के लिए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी एकत्र करने और साझा करने के तंत्र को मजबूत करके खुफिया ढांचे को नया रूप देने पर ध्यान केंद्रित किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए अपनाई गई आक्रामक रणनीति की सराहना की है।

पूरे देश में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने एवं सुधारने के प्रयास भी मंत्रालय के लिए प्रमुख विषय रहे हैं। पुलिस बलों के आधुनिकीकरण पहल के तहत उन्नत हथियार, संचार प्रणाली और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रावधान सहित पुलिस बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण निवेश किया गया है। बेहतर पुलिस-पब्लिक संबंधों को बढ़ावा देने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों में विश्वास बढ़ाने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रमों की शुरुआत कानून और व्यवस्था में सुधार का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू रहा है।

मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद के खतरे से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। प्रभावित राज्यों में नक्सल विरोधी अभियानों को तेज करने से नक्सली गतिविधियों में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अतिरिक्त, उग्रवाद के मूल कारणों को दूर करने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रम शुरू करना एक सक्रिय कदम रहा है।

श्री अमित शाह ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट की एक श्रृंखला में वामपंथी उग्रवाद पर प्रहार के परिणामों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरकार की आक्रामक रणनीति के कारण वामपंथी उग्रवाद आज अपने अंतिम चरण में है। श्री शाह ने यह भी बताया कि सरकार ने नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों का दिल जीतने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है।

23 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी नीतियों के कारण वामपंथी उग्रवाद ने अपनी मूल भूमि खो दी है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास और सुरक्षा के समग्र दृष्टिकोण के साथ वामपंथी उग्रवाद पर करारा प्रहार किया है।

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2004-14 की तुलना में

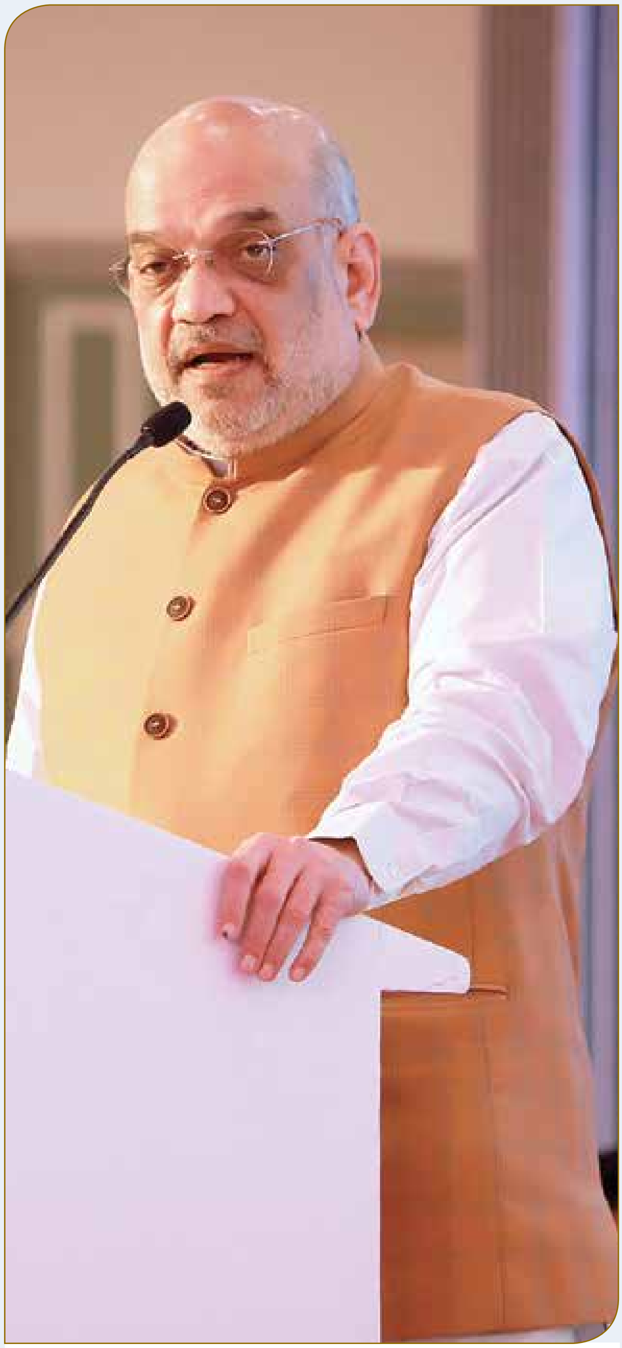

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत विफल कर दिया जाएगा।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

गृह मंत्रालय के प्रमुख फैसले

अनुच्छेद 370 को निरस्त करना

अनुच्छेद 370 को निरस्त करना एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय था, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अगस्त 2019 में लागू किया। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष अधिकार और स्वायत्तता प्राप्त थी, जो कि अब समाप्त हो गई है। इससे भारतीय संविधान के अधिकतर प्रावधान अब इस क्षेत्र में लागू हो गए हैं। इस निर्णय के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया, और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया: जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख। इस फैसले का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर को भारत के अन्य हिस्सों के साथ अधिक घनिष्ठता से एकीकृत करना और क्षेत्र में विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देना था।

तीन नए आपराधिक कानून

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू किया है, जो औपनिवेशिक युग के कानूनों को प्रतिस्थापित करते हैं। इन नए कानूनों का उद्देश्य न्यायिक प्रणाली को अधिक प्रभावी, आधुनिक और न्यायपूर्ण बनाना है। पुराने औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह सरकार ने नए कानूनों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नाम दिया है। इन नए कानूनों का कार्यान्वयन देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

आतंकवाद विरोधी कानूनों को मजबूत करना

आतंकवाद विरोधी कानूनों को मजबूत करने के लिए 2019 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) में किए गए संशोधनों का उद्देश्य आतंकवाद के खतरों से निपटने में सरकार की क्षमता को बढ़ाना था। इन संशोधनों ने सुरक्षा एजेंसियों को अधिक शक्तियाँ प्रदान कीं और आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने में मदद की।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए)

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 का कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण कदम रहा है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। यह अधिनियम विशेष रूप से गैर-मुस्लिम शरणार्थियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। सीएए इन शरणार्थियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे राज्यविहीनता के मुद्दे को संबोधित करता है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम में सुधार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के संशोधन के माध्यम से, इसे आतंकवाद और अन्य गंभीर अपराधों के विरुद्ध लड़ाई में मजबूत किया गया है। संशोधन ने एनआईए को आतंकवादी और अन्य गंभीर अपराधों के मामलों में अधिक कठोरता से कार्रवाई करने की अनुमति दी है। इससे एजेंसी की क्षमता में वृद्धि हुई है जिससे यह अपराधों के विरुद्ध बेहतर रूप से सम्बोधन कर सकती है। नए संशोधन ने आधुनिक तकनीक और नियमावलियों के साथ एनआईए की कार्रवाई को सुधारा है। इससे अब एजेंसी अपराधों के संदिग्ध मामलों का जल्दी और समय में संज्ञान ले सकती है और उन्हें समाप्त करने में मदद कर सकती है।

आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम

आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों को रोकने और न्यायिक प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए सख्त कानून बनाना था। इस अधिनियम ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों में कठोर दंडों का प्रावधान किया और न्यायिक प्रक्रिया को तेजी से निपटाने के उपाय किए। 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। 16 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के मामलों में न्यूनतम 20 साल की सजा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलों में न्यूनतम सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है, जिसे उम्रकैद तक बढ़ाया जा सकता है।

2014-23 के दशक में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में 52 प्रतिशत की गिरावट आई है और मृतकों की संख्या 69 प्रतिशत घटकर 6035 से 1868 हो गई है। इसी तरह वामपंथी उग्रवाद की घटनाएं 14,862 से घटकर 7,128 रह गई हैं। वामपंथी उग्रवाद के कारण सुरक्षा बलों के शहीदों की संख्या 2004-14 में 1750 से 72 प्रतिशत कम होकर 2014-23 के दौरान 485 हो गई है और नागरिक मृतकों की संख्या 68 प्रतिशत घटकर 4285 से 1383 हो गई है। 2010 में हिंसा वाले जिलों की संख्या 96 थी, जो 2022 में 53 प्रतिशत घटकर 45 रह गई। इसके साथ ही, हिंसा की रिपोर्ट करने वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या 2010 में 465 से घटकर 2022 में 176 हो गई।

इसी तरह, अधिक कुशल और निष्पक्ष आपराधिक न्याय प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए कई सुधार पेश किए गए हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों में तेजी लाने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना और मामलों में देरी को कम करने और न्यायपालिका की समग्र दक्षता में सुधार करने की पहल सुधार के प्रमुख घटक रहे हैं।

केंद्र सरकार भारतीय लोकतंत्र में तीन नए कानून लेकर आयी। पुराने औपनिवेशक कानून की जगह केंद्र सरकार ने तीन नए आपराधिक कानून बनाए, जिन्होंने पुराने भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह ले ली। सरकार ने नए कानूनों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नाम दिया है। 23 जनवरी को गुजरात के गांधीनगर में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) के 5वें अंतर्राष्ट्रीय और 44वें अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा था कि भारत ने 150 साल पुराने मूल कानूनों को खत्म कर दिया है। आपराधिक न्याय और नए कानून पेश किए गए। इन्हें पहला, समय पर न्याय दिलाने और दूसरा, सजा दर बढ़ाकर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि तीनों कानूनों में इन दोनों मुद्दों को टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमने एक साहसिक निर्णय लिया है और जिन अपराधों में 7 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, उनमें फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट के लिए अपराध स्थल का दौरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे जांच सरल होगी, जजों को आसानी होगी और अभियोजन भी सरल होगा। इससे हमें सजा दर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। साथ ही पूरी प्रक्रिया को आधुनिक बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि 5 साल बाद भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक प्रणाली होगी।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पिछले 10 वर्षों में हर क्षेत्र में 50 से अधिक पथप्रदर्शक कार्य किए हैं, जिनमें ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

आपदा प्रबंधन क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। तीव्र और प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) इकाइयों का विस्तार और आधुनिकीकरण तथा समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों सहित व्यापक आपदा तैयारी एवं शमन रणनीतियों का कार्यान्वयन, आपदा प्रबंधन और प्रतिक्रिया में सहायक रहा है। बीते कुछ समय से साइबर अपराध के बढ़ते खतरे से निपटना मंत्रालय की प्रमुख प्राथमिकता रही है। साइबर खतरों से निपटने और साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की स्थापना और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करना साइबर सुरक्षा उपायों में महत्वपूर्ण कदम रहे हैं। प्रशासनिक दक्षता में सुधार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आये हैं। डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई-गवर्नेंस उपायों को अपनाना और नागरिक-केंद्रित सेवाओं के माध्यम से नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच की सुविधा के लिए विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं की शुरूआत उल्लेखनीय उपलब्धियां रही हैं।

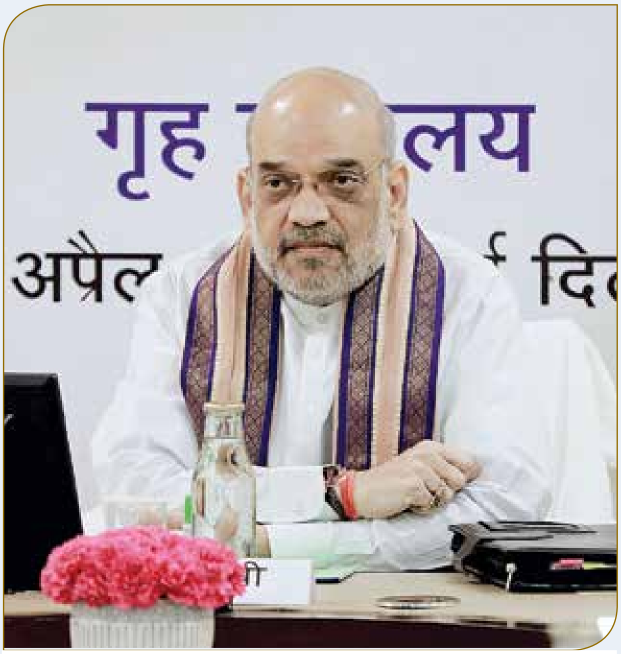

आज देश में वामपंथी उग्रवाद अपने आखिरी पड़ाव पर है। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे का निर्माण करके वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले लोगों का दिल जीत लिया है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

मजबूत सुरक्षा नेटवर्क से सुरक्षित होता भारत

ब्यूरो

आंतरिक शांति के बिना, न तो सामाजिक स्थिरता प्राप्त की जा सकती है और न ही आर्थिक विकास संभव है। जब एक देश के अंदर संघर्ष और अस्थिरता होती है, तो संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षा पुनर्स्थापना में खर्च होता है, जो विकास के अन्य क्षेत्रों में निवेश को बाधित करता है। इसके अतिरिक्त, अस्थिरता और हिंसा के माहौल में विदेशी निवेशक भी आने से कतराते हैं, जिससे आर्थिक प्रगति बाधित होती है। विकास के लिए आंतरिक शांति एक अनिवार्य शर्त है। निर्वाचित सरकारों को संघर्ष के मुद्दों को या तो बातचीत के माध्यम से या व्यवधान और हिंसा के स्रोतों के खिलाफ कठोर कदम उठाकर संबोधित

> श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भारत-म्यांमार सीमा पर भारत-बांग्लादेश सीमा की तर्ज पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है। सरकार भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही के मौजूदा समझौते पर भी पुनर्विचार कर रही है।
>
> **श्री अमित शाह**
> केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

विभिन्न परिस्थितियों के कारण भारत को आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भौगोलिक और शासकीय क्षेत्र के हिसाब से भी यह अलग-अलग है। पूर्वोत्तर में उग्रवाद, मध्य भारत में माओवादी संघर्ष और जम्मू-कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद के खतरों जैसे मुद्दों पर निरंतर सतर्कता की आवश्यकता है। जैसे-जैसे देश आर्थिक और तकनीकी रूप से विकसित हो रहा है, शांति और सुरक्षा बनाए रखना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की कार्ययोजना और संबंधित एजेंसियों की तत्परता से देश अब काफी सुरक्षित हो रहा है।

करने की आवश्यकता है।

2014 में श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद केंद्र सरकार ने शांति स्थापित करने और विकास का माहौल बनाने की अपनी ठोस नीति और लक्ष्य के आधार पर आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव के लिए कई कदम उठाए हैं। पिछले 10 वर्षों में, भारत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मजबूत आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए एक मजबूत नेटवर्क सफलतापूर्वक बनाया है, जो 24X7 आपस में समन्वय बनाए रखते हैं। इससे तमाम एजेंसियों के बीच सकारात्मक परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं।

सभी ने माना है कि आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद दो प्रमुख विचारधारा-आधारित हिंसा हैं, जो देश के कुछ हिस्सों में फैली थीं। हजारों निर्दोष नागरिक और सुरक्षाकर्मी आतंकवाद और माओवादी हिंसा के शिकार हुए। 5 फरवरी को नई दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में 'सिक्योरिटी बियॉन्ड टुमॉरो: फोर्जिंग इंडियाज रेजिलिएंट फ्यूचर' शीर्षक से एक व्याख्यान देते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि मजबूत नीतिगत उपायों और पुलिस कार्रवाई के कारण, 2014 से 2023 के बीच उग्रवाद के कारण होने वाली हिंसक घटनाएं 62% कम होकर 12,466 हो गई हैं।

आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2004 से 2014 के बीच हिंसक घटनाओं की संख्या 33,000 थी, जबकि नागरिकों और सुरक्षा बलों की कुल मौतों की संख्या 11,900 थी। वर्ष 2014 और 2023 के बीच की अवधि में यह 72 प्रतिशत घटकर 3,276 हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद से मुकाबले में भारत के सफलता की कहानी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। उन्होंने कहा, 'श्री मोदी जी ने भारत को आतंकवाद जैसी चुनौतियों के लिए समाधान प्रदान करने वाला देश बनाया है।'

श्री शाह ने कहा, 'हम पूरी दुनिया से दोस्ती कायम रखना चाहते हैं, लेकिन देश और नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने दुनिया को समझाया है कि देश की आंतरिक सुरक्षा को पड़ोस के कुछ तत्वों से खतरा है और दुनिया ने हमारी स्थिति का सम्मान किया है।'

केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है कि विभिन्न विकास कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने वाली समस्याओं के निवारण के लिए कारगर कदम उठाए गए हैं। हिंसा के अपराधियों

को अलग-थलग कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से भारत ने शांतिपूर्ण वातावरण के साथ-साथ राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, जन कल्याण, निवेशक-अनुकूल एजेंडा स्थापित करने में भी बड़ी सफलता हासिल की है। भारत 7.6 प्रतिशत की विकास दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है और 60 करोड़ लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया है। इससे आतंकवादियों और वामपंथी उग्रवादियों की नई भर्ती रूक गई है।

श्री शाह का कहना है कि इन 60 करोड़ गरीबों को आजादी अब भा गया है। वे उन लोगों के जाल से बाहर आ गए हैं, जो उन्हें हथियार उठाने और विद्रोह करने के लिए गुमराह कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि अब बंदूक लेकर आतंकवादी बनने से बेहतर है कि आप टूरिस्ट गाइड बनें। एक ओर केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर उस पर अंकुश लगाया है। दूसरी ओर, एक मजबूत न्यायिक प्रणाली बनाने के लिए कई कानूनी बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) जैसे आतंकवाद विरोधी कानूनों में व्यापक और सार्थक बदलावों से बड़ा बदलाव आया है।

> **वामपंथी उग्रवाद के प्रसार को रोकने की जरूरत है और इसमें अहम भूमिका केंद्र सरकार निभा रही है। हम अच्छे बुनियादी ढांचे के माध्यम से अविकसित आदिवासी क्षेत्रों को विकसित क्षेत्रों से जोड़ रहे हैं।**
>
> **श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री**

वर्ष 2023 में लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों—भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम—ने भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य लोगों को तेजी से न्याय दिलाना और कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता लाना है। पुराने और पुरातनपंथी कानूनों में अस्पष्टताओं और खामियों के कारण अपराधियों को कानूनी प्रक्रिया में फायदा मिलता था, जिससे न्याय में देरी होती थी। नए कानूनों ने इन समस्याओं को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सभी अपराधियों को तीन साल के भीतर दोषी ठहराया जाएगा और यह ऐसे तत्वों के लिए बहुत बड़ी निराशा होगी। इसका हमारी आंतरिक सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश को भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और तुष्टिकरण इन तीन अभिशापों से हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है कि इससे समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के बीच विश्वास और प्रशासन में उनका विश्वास पैदा हुआ है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि यूपीआई के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और डिजिटल धन लेन-देन ने बाजार में मुद्रा नोटों के प्रचलन को कम कर दिया है, जिससे अवैध नकदी प्रवाह और अपराधियों और अन्य कानून व्यवस्था उल्लंघनकर्ताओं द्वारा उनके उपयोग को रोका जा सका है।

श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35ए वर्षों से जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे थे। वर्ष 2019 में भारतीय संसद द्वारा इन्हें खत्म किए जाने के बाद अलगाववादी अब भाग खड़े हुए हैं। कश्मीर में लोगों को देश के अन्य हिस्सों की तरह संवैधानिक अधिकार मिले हैं और आज केंद्र शासित प्रदेश में 30,000 से अधिक स्थानीय प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा, अनुच्छेद 370 को हटाकर देश के 100 से अधिक कानून जो जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होते थे, उन्हें लागू किया गया है। इन उपायों से देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने वाली ताकतें कमजोर हो गई हैं।

भारत के आंतरिक सुरक्षा पर बाहरी दबाव का मुद्दा महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उस देश के लिए जो सात देशों के साथ भूमि सीमा और सात देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। इन सीमाओं की सुरक्षा में कई चुनौतियां हैं, जिनमें अवैध घुसपैठ, तस्करी, आतंकवाद, और सीमा पार से होने वाले अपराध शामिल हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बहुआयामी और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने बहुआयामी और एकीकृत तरीके से सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम ने सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया है, जिन्हें कभी आखिरी गांव कहा जाता था। पिछले दो वर्षों में ही, कम से कम 6,000 सीमावर्ती गांवों में 300 केंद्र सरकार की योजनाओं के 100% कार्यान्वयन को प्राप्त करने के लिए काम किया गया है।

पूर्वोत्तर भारत में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उदाहरण देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में पूर्वोत्तर में नौ शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत 9,000 से अधिक उग्रवादी हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। पूर्वोत्तर में सीमा, नस्लीय और धार्मिक विवादों को सुलझाने के लिए भी पहल की गई है। पूर्वोत्तर के 70 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रों से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) हटा दिया गया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 से 2024 के बीच केवल 10 वर्षों में क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास पर ₹14 लाख करोड़ खर्च किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज सभी पूर्वोत्तर राज्यों में रेल और हवाई कनेक्टिविटी का काम जोरों पर चल रहा है।

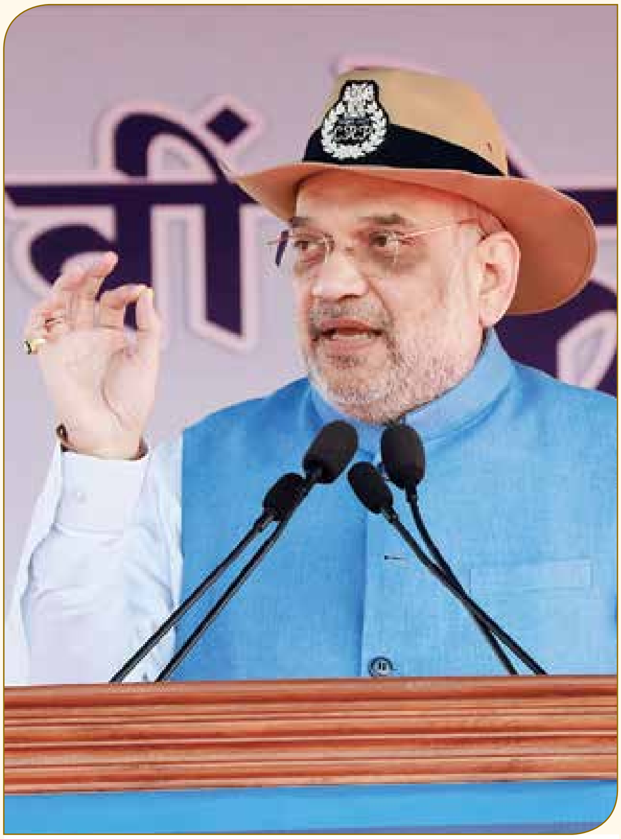

अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में युवाओं के हाथों में पत्थरों की जगह टैबलेट और लैपटॉप हैं।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

जहां तक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों का सवाल है, वहां कई विकास कार्य किए जा रहे हैं और कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई है। इससे आदिवासी लोग उग्रवादियों से दूर हो गए हैं और माओवादियों का समर्थन आधार अब ना के बराबर बचा है। हथियार रखने वालों पर सख्त कार्रवाई करके सरकार 75 फीसदी हिंसा कम करने में सफल रही

है। यह माओवादी हिंसा से प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने से संभव हुआ है। कई क्षेत्रों में यह संघीय व्यवस्था का बेहतरीन उदाहरण है।

उग्रवाद को उखाड़ने के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण बहु-विभागीय दृष्टिकोण पर आधारित था, जिसे 'संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण' (Whole of Government Approach) के रूप में जाना जाता है। केंद्र सरकार ने शिक्षा, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और बातचीत और शांति समझौते पर जोर दिया। शांति समझौतों का सम्मान न करने वालों के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाकर उन्हें कड़ा संदेश दिया गया।■

आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस

वर्ष 2014 के बाद से, केंद्र सरकार ने आंतरिक सुरक्षा विशेषकर आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपनी रणनीतियों को मजबूत किया है। उसने न केवल आतंकवाद से निपटना जरूरी समझा है, बल्कि अपने पारिस्थितिकी तंत्र पर भी भारी प्रहार किया है। अपनी दो-आयामी नीति के कारण, केंद्र सरकार ने माओवाद से प्रभावित तीन हॉटस्पॉट, जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और मध्य भारत के इलाकों में बड़ी सफलता हासिल की है। सरकार को यह सफलता 'संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण', सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग और समन्वय, मजबूत कानूनी ढांचे, प्रौद्योगिकी-आधारित डेटाबेस और ज्ञान साझाकरण के कारण मिली है। बहु-एजेंसी दृष्टिकोण के तहत, केंद्र सरकार ने प्रत्येक थिएटर क्षेत्र में एक अलग नीति अपनाई और सभी हिंसा प्रभावित हॉटस्पॉटों में अप्रत्याशित सफलता हासिल की।

जेल प्रशासन में सुधार और पारदर्शिता

ब्यूरो

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने 'आदर्श कारागार अधिनियम, 2023' को अंतिम रूप दिया है, जो वर्तमान कारागार अधिनियम की मौजूदा कमियों को दूर करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह अधिनियम राज्यों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करेगा और जेल सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास करेगा।

नए कारागार अधिनियम में महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों की सुरक्षा पर अधिक जोर दिया जाएगा। इस अधिनियम से जेल प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी और कैदियों के सुधार एवं पुनर्वास का प्रावधान किया जाएगा।

इस 'आदर्श कारागार अधिनियम, 2023' का उद्देश्य भारतीय जेल व्यवस्था को अधिक मानवता और प्रभावशीलता की ओर ले जाना है। यह अधिनियम राज्यों के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में कार्य करेगा, जिससे वे अपने कारागार अधिनियमों को संशोधित कर सकेंगे और सुधार कार्यक्रमों को लागू कर सकेंगे।

वर्तमान 'कारागार अधिनियम, 1894' आजादी पूर्व का अधिनियम है और लगभग 130 वर्ष पुराना है। यह अधिनियम मुख्य रूप से अपराधियों को हिरासत में रखने और जेलों में अनुशासन और व्यवस्था लागू करने पर केंद्रित है और इसमें कैदियों के सुधार और पुनर्वास का कोई प्रावधान नहीं है। पिछले कुछ दशकों में, विश्वस्तर पर जेलों और कैदियों के बारे में एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ है। आज, जेलों को सजा के स्थान के रूप में नहीं बल्कि, ऐसे सुधारात्मक और परिवर्तन करने वाले संस्थानों के रूप में देखा जाता है, जहां कैदियों के व्यवहार में बदलाव लाकर उन्हें कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में समाज के साथ दोबारा जोड़ा जाता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के निर्णायक मार्गदर्शन में, औपनिवेशिक काल के पुराने कारागार अधिनियम की समीक्षा और वर्तमान की जरूरतों और सुधार पर जोर देने के लिए इसे संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्रालय ने कारागार अधिनियम, 1894 के संशोधन का जिम्मा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को सौंपा और ब्यूरो ने राज्य कारागार प्रशासन, सुधार विशेषज्ञों आदि से विस्तृत विचार विमर्श के बाद इसका एक प्रारूप तैयार किया।

वर्तमान कारागार अधिनियम की मौजूदा कमियों, जिनमें जेल प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का उपयोग, पैरोल प्रदान करने, अच्छे आचरण को बढ़ावा देने के लिए कैदियों की सजा माफ करने, महिला/ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए विशेष प्रावधान, कैदियों की शारीरिक और मानसिक कुशलता के प्रावधान करने तथा कैदियों के सुधार और पुनर्वास पर ध्यान, आदि शामिल हैं, को दूर करने के उद्देश्य से केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने एक व्यापक 'आदर्श कारागार अधिनियम, 2023' को अंतिम रूप दिया है, जो राज्यों के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम कर सकता है।

'आदर्श कारागार अधिनियम, 2023' का उद्देश्य जेल प्रबंधन में सुधार करना और कैदियों को कानून का पालन करने वाले नागरिकों में बदलकर समाज में उनका पुनर्वास सुनिश्चित करना है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

नए मॉडल कारागार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- सुरक्षा मूल्यांकन और कैदियों को अलग-अलग रखने, वैयक्तिक सजा योजना बनाने के लिए प्रावधान, शिकायत निवारण, कारागार विकास बोर्ड, बंदियों के प्रति व्यवहार में परिवर्तन
- महिला कैदियों, ट्रांसजेंडर आदि को अलग रखने का प्रावधान
- कारागार प्रशासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रावधान
- अदालतों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जेलों में वैज्ञानिक और तकनीकी पहल आदि का प्रावधान
- जेलों में प्रतिबंधित वस्तुओं जैसे मोबाइल फोन आदि का प्रयोग करने वाले बंदियों एवं जेल कर्मचारियों के लिए दण्ड का प्रावधान
- उच्च सुरक्षा जेल, ओपन जेल (ओपन और सेमी ओपन), आदि की स्थापना एवं प्रबंधन के संबंध में प्रावधान
- खूंखार और आदतन अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों से समाज को बचाने का प्रावधान
- कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने, अच्छे आचरण को बढ़ावा देने के लिए पैरोल, फर्लो और समय से पहले रिहाई आदि के लिए प्रावधान
- कैदियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास और उन्हें समाज से दोबारा जोड़ने पर बल देना

सीएए से मिलेगी वंचितों को नागरिकता

वर्षों से पड़ोसी देशों से आए लोग दीन-हीन अवस्था में जीवनयापन कर रहे थे। सालों से भारतीय भूमि पर रहे, लेकिन अधिकार नहीं था। ऐसे सभी वंचितों को केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून के जरिए नागरिकता देने का काम कर रही है। छिटपुट घटनाओं के माध्यम से इसको लेकर आशंका फैलाई गई, लेकिन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने स्पष्टतौर पर कहा कि सीएए कानून कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा। हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना, ये भारत का विषय है, ये भारत की सम्प्रभुता का निर्णय है और इससे कभी समझौता नहीं किया जा सकता।

ब्यूरो

देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना केंद्र सरकार का संप्रभु अधिकार है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का सीधे शब्दों में कहना है कि हम इस पर कभी भी समझौता नहीं करेंगे। हमारी सरकार द्वारा यह लाया गया है और इसे वापस लेना असंभव है। संसद में जब इसे पास कराया गया, तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इसी आशय को बताया था। उसके बाद से लेकर आज तक अपनी कही बात पर वे अडिग है। कई बार विभिन्न साक्षात्कारों में जब भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उनसे बात की गई, उन्होंने अपनी बातों को दोहराया है। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए लोगों को नागरिकता देता है। इस कानून के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है।

एक साक्षात्कार में केंद्रीय गृहमंत्री ने यह भी बताया था कि एनआरसी और सीएए इन दोनों का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ

नागरिकता संशोधन कानून का कोई भी प्रावधान संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से संबंधित नियम बनाने की सारी ताकत देता है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

पूर्वोत्तर के वो राज्य जहां पर दो तरह के विशेष अधिकार दिए गए हैं, उन्हीं इलाकों में ये सीएए लागू नहीं होगा। इनमें वे क्षेत्र शामिल हैं, जहां पर पहुंचने के लिए 'इनर लाइन परमिट' जरूरी होता है और वे क्षेत्र जिन्हें संविधान की छठवीं अनुसूची के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है।

गौरतलब है कि वर्ष 2019 में संसद ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 पारित किया था। संसद में इसको लेकर व्यापक चर्चा हुई थी। चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा था कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को आशा की एक नई किरण देगा। जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धर्म के आधार पर उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आ गए हैं। श्री शाह ने दोहराया कि यह विधेयक भारत में किसी भी अल्पसंख्यक के खिलाफ नहीं है और प्रत्येक भारतीय नागरिक के अधिकारों की समान रूप से रक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का एकमात्र धर्म भारत का संविधान है। उन्होंने कहा, 'हम यहां केवल सरकार चलाने के लिए नहीं, बल्कि आम आदमी की वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए हैं।'

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 एक ऐसा कानून है, जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले छह धार्मिक अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को नागरिकता दी जाएगी। लंबे समय से भारत में शरण लेने वालों को इससे बड़ी राहत मिलेगी।

भारतीय संसद में सीएए को वर्ष 2019 में 11 दिसंबर को पारित किया गया था, जिसमें 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ थे। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी दे दी थी। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है।

असम के लोगों को आश्वस्त करते हुए कि उनकी भाषायी, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान संरक्षित की जाएगी। स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा और संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, श्री शाह ने गठित समिति से समझौते के प्रावधानों को पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपने का आग्रह किया। 2016 में सीएए पेश किया गया था, जिसमें 1955 के कानून में कुछ बदलाव किया जाना था, ये बदलाव थे कि भारत के तीन पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना। 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को रिपोर्ट सौंपी थी। दिसंबर 2021 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय के अनुसार, वर्ष 2018, 2019, 2020 और 2021 के दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुल 3117 अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी गई। हालांकि, आवेदन 8,244 मिले थे। गृह मंत्रालय की 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल-दिसंबर 2021 में कुल 1,414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीएए या कोई कानून इसे छीन नहीं सकता।

गृह मंत्री ने कहा कि इस विधेयक में तीन देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे शरणार्थियों को उचित आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान है, जो किसी भी तरह से भारत के संविधान के तहत किसी भी प्रावधान के खिलाफ नहीं जाता है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि इस विधेयक से अनुच्छेद 371 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं होगा। अधिनियम में एक अन्य संशोधन के बारे में बात करते हुए, श्री शाह ने बताया कि विधेयक में धारा 7डी में संशोधन करने का प्रावधान है, ताकि नागरिकता अधिनियम या किसी अन्य वर्तमान कानून के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, भारत के विदेशी नागरिक कार्डधारक के रूप में पंजीकरण को रद्द करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाया जा सके।

नए कानून से 14 लोगों को मिली नागरिकता

देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 14 लोगों को पहली बार नागरिकता मिली है। यह एक नई शुरुआत है। सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम पर अधिसूचना जारी किया था। अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बार नागरिकता प्रमाणपत्रों का वितरण किया गया। एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपे। इस अवसर पर आसूचना ब्यूरो के निदेशक श्री तपन

आवेदन प्रक्रिया

- नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत, आवेदकों को यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करने का वर्ष बताना होगा।

ऑनलाइन फॉर्म के लिए आवश्यक है:

- अनुसूची 1ए के तहत नौ प्रकार के दस्तावेज
- अनुसूची 1बी के तहत बीस प्रकार के दस्तावेज
- अनुसूची 1सी के तहत एक हलफनामा
- आवेदकों को यह घोषित करना होगा कि वे पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थी हैं।

अपनी पात्रता साबित करने के लिए, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे:

- पासपोर्ट ♦ जन्म प्रमाणपत्र
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र ♦ ड्राइविंग लाइसेंस
- जमीन संबंधी दस्तावेज

इसके अतिरिक्त, आवेदक इसका उपयोग करके आवेदन कर सकते हैं:

- आधार कार्ड ♦ राशन पत्रिका
- पैन कार्ड ♦ बिजली या पानी का बिल
- भारत सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र
- समान दस्तावेज
- यदि कोई आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो आवेदकों को इसका कारण बताना होगा।
- जो लोग किसी विशेष राज्य में बस गए हैं या बसने का इरादा रखते हैं, उनके लिए राज्य के नियमों के अनुसार अधिवास प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- 2022 से, केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने के लिए नौ राज्यों में 31 जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को अधिकृत किया है।

इन राज्यों में शामिल हैं:

- गुजरात ♦ राजस्थान ♦ छत्तीसगढ़ ♦ हरियाणा
- पंजाब ♦ मध्य प्रदेश ♦ उत्तर प्रदेश
- दिल्ली ♦ महाराष्ट्र

डेका भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर गृह सचिव ने आवेदकों को बधाई देते हुए नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला। इस मौके पर सचिव, डाक और भारत के रजिस्ट्रार जनरल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

दरअसल, नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मार्च में नागरिकता संशोधन अधिनियम नियमों को अधिसूचित किया था।

जनगणना संचालन निदेशक की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति

ने उचित जांच के बाद 14 आवेदकों को नागरिकता देने का फैसला किया है। इसके बाद जनगणना संचालन निदेशक ने इन आवेदकों को प्रमाण पत्र दिए। नागरिकता (संशोधन) कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रावधान है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने 11 मार्च, 2024 को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया था। इन नियमों में आवेदन करने के तरीके, जिलास्तरीय समिति द्वारा आवेदन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया और राज्यस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा आवेदनों की जांच और नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इन नियमों के लागू होने के बाद, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो धार्मिक उत्पीड़न या इसके डर के कारण 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आ गए थे।

इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया पर कहा कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज दशकों का इंतजार समाप्त हुआ है और नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़नाओं के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई बहनों-भाइयों को भारत की नागरिकता मिलनी शुरू हो गई है।

आजादी के समय किए गए वादे को प्रधानमंत्री ने पूरा करके दिखाया है। दशकों तक पीड़ित इन लोगों को न्याय और उनका अधिकार देने के लिए श्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही, अपने सभी शरणार्थी बहनों-भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम से हर एक शरणार्थी को नागरिकता देकर रहेगी।

तीनों नए कानून पूरी तरह से लागू होने के बाद

ब्यूरो

एक ऐतिहासिक विधायी बदलाव में, भारतीय संसद ने दिसंबर 2023 में तीन नए कानून पारित किए, जिन्होंने देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को मौलिक रूप से बदल दिया। नव अधिनियमित कानून-भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023- ने पुरातन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 1898, और 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम, का स्थान लिया है, जिसने औपनिवेशिक युग से ही व्यवस्था को नियंत्रित किया था।

> **नए कानूनों में दंड की जगह न्याय को प्राथमिकता मिलेगी, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी।**
>
> **श्री अमित शाह**
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

इन कानूनों का पारित होना देश के इतिहास में एक मील का पत्थर है। यह परिवर्तन न्यायशास्त्र के एक स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप है। बदलते

सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सृजन करेंगे

सामाजिक और आर्थिक रुझानों का जवाब देने के लिए कानून विकसित होने चाहिए। यह सिद्धांत मानता है कि कानूनी ढांचे समाज के लिए बनाए गए हैं और उन्हें समय के साथ न्याय और प्रासंगिकता सुनिश्चित करते हुए इसकी जरूरतों के अनुकूल होना चाहिए।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इस विधायी परिवर्तन के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, '1860 से 2023 तक, भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर संचालित की गई थी। अब, इन तीन कानूनों को भारतीय आत्मा को आत्मसात करके प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिससे हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में एक बड़ा बदलाव आएगा।' 11 अगस्त को लोकसभा में बिल पेश करते हुए, श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि नए कानून न्याय की सच्ची अवधारणा को शामिल करते हैं, जो भारतीय समाज की समकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

दिसंबर 2023 में, संसद ने तीन नए आपराधिक कानूनों को पारित करके देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक ऐतिहासिक परिवर्तन किया, जिसमें औपनिवेशिक युग के कानूनों को आधुनिक कानून से बदल दिया गया। यह समकालीन सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं को दर्शाता है।

बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए सामूहिक रूप से मौजूदा कानूनी ढांचे में 313 बदलाव पेश करते हैं। इन बदलावों का उद्देश्य न्याय में तेजी लाना है, मामलों को तीन साल के भीतर निपटाने का लक्ष्य है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और पुलिस शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उपाय किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक राजद्रोह कानून को निरस्त करना और मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध और आतंकवाद जैसे आधुनिक अपराधों से निपटने के लिए प्रावधान लागू करना है। नए कानून सशस्त्र विद्रोह और अलगाववाद जैसे अपराधों की स्पष्ट परिभाषा भी प्रदान करते हैं । इन अपराधों को करने वालों की संपत्ति जब्त करने के प्रावधान भी शामिल हैं।

नए कानूनों में किए गए परिवर्तनों का उद्देश्य न्याय प्रणाली को अधिक कुशल, पारदर्शी और समसामयिक बनाना है। इनमें कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने और भगोड़ों पर अंकुश लगाने में मदद करेंगे। नए कानूनों के तहत, अदालतें अब जांच अधिकारियों के संज्ञान के आधार पर आदेश जारी करेंगी। इसका मतलब है कि अगर जांच अधिकारी किसी अपराध के बारे में अदालत को सूचित करते हैं, तो अदालत उस सूचना के आधार पर कार्रवाई कर सकेगी। यह प्रावधान जांच प्रक्रिया को सरल बनाने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने में मदद करेगा। इससे न्यायिक प्रणाली की दक्षता में वृद्धि होगी और मामलों की सुनवाई में देरी को कम किया जा सकेगा।

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने और सजा दर में सुधार करने के प्रयास में, नए कानून ने 90% सजा दर हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक प्रमुख प्रावधान यह कहता है कि सात साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना चाहिए।

नए कानून यौन हिंसा के मामलों से निपटने में आमूल-चूल बदलाव भी लाते हैं। यौन हिंसा के मामलों में पीड़ितों के बयान दर्ज करना अब अनिवार्य है, यौन उत्पीड़न के मामलों में बयानों के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, पुलिस शिकायतकर्ता को 90 दिनों के भीतर और उसके बाद हर 15 दिनों में उनकी शिकायत की स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए बाध्य है। यह पीड़ितों के लिए पारदर्शिता और निरंतर अपडेट सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, कोई भी सरकार पीड़ित की बात सुने बिना सात साल या उससे अधिक की सजा वाले मामले को वापस नहीं ले सकती, जिससे पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा हो सके और उनकी आवाज सुनी जा सके।

न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, नया कानून आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय-सीमा निर्धारित करता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर अदालत 90 दिनों के लिए बढ़ा सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि जांच 180 दिनों के भीतर पूरी हो जाए और तुरंत परीक्षण के लिए भेजी जाए। अदालतों को अब 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने के लिए आरोपियों को नोटिस जारी करना होगा। इसके अलावा, न्यायाधीशों को समय पर निर्णय सुनिश्चित करते हुए दलीलें पूरी करने के 30 दिनों के भीतर फैसला देना होगा। न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाते हुए फैसले सात दिनों के भीतर ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

बीएनएस 2023, बीएनएसएस 2023 और बीएसए 2023 का पारित होना भारतीय कानूनी इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है। यह ऐतिहासिक परिवर्तन भारत के कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाने, इसे समकालीन समाज की जरूरतों के साथ संरेखित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय न्याय प्रणाली में ये सुधार महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और त्वरित बनाने का प्रयास करते हैं।

मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया ऐतिहासिक कदम

ब्यूरो

हर कानून नागरिकों के हित के लिए बनाया जाता है। ऐसा ही कानून है तीन तलाक। केंद्र सरकार ने तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई 2017 को तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। तीन तलाक विधेयक 2019 में संसद में पारित किया गया था।

जब संसद के सदनों में तीन तलाक को लेकर चर्चा हो रही थी, तो उस समय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा था कि तीन तलाक विधेयक 2019 पारित होने से मुस्लिम महिलाओं के लिए असीम संभावनाओं के द्वार खुलेंगे जिससे वे नए भारत के निर्माण में प्रभावी भूमिका अदा कर सकेंगी। उनका कहना था कि यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को सुनिश्चित करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। श्री शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी की सरकार महिला सशक्तीकरण और महिला अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है और तीन तलाक पर बैन इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आगे कहा कि यह बिल मुस्लिम महिलाओं के जीवन में आशा और सम्मान का एक नया युग लाएगा।

मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 ने 1 अगस्त, 2019 से भारत में तीन तलाक (तत्काल तलाक) को अवैध बना दिया। इसमें कहा गया है कि तलाक-ए-बिद्दत किसी भी रूप में - मौखिक, लिखित या ईमेल या एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं हो सकता है। यह अवैध है। यदि कोई शौहर ऐसा करता है, तो उसे तीन साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा, पीड़िता अब अपने आश्रित बच्चों के लिए भरण-पोषण की मांग करने की भी हकदार है।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 को पारित कराने में सहयोग देने वाले सभी राजनीतिक दलों और सांसदों का आभार प्रकट किया। साथ ही कहा कि इससे उनके लिए अवसर बढ़ गए हैं और यह कदम भारत के इतिहास में हमेशा के लिए याद किया जाएगा। संसद ने तीन तलाक को खत्म कर दिया और मुस्लिम महिलाओं के प्रति हुई ऐतिहासिक गलती को सुधार दिया गया। यह लैंगिक न्याय की जीत है और इससे समाज में समानता को बढ़ावा मिलेगा। तीन तलाक की प्रथा खत्म होने से महिलाओं के सशक्तिकरण में इजाफा होगा और महिलाओं को समाज में वह गरिमा प्राप्त होगी, जिसकी वे हकदार हैं।

तीन तलाक का कानून खत्म करके, परंपरा खत्म करके हमने सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं, पूरे मुस्लिम परिवार को बचा लिया है। उस लटकती तलवार से मुक्ति दिला दी है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

1 अगस्त 2019 भारतीय संसद के इतिहास का वह दिन है, जिस दिन 'तीन तलाक' कुप्रथा को खत्म करने के विधेयक को कानून बनाया गया। देश की आधी आबादी और मुस्लिम महिलाओं के लिए यह दिन संवैधानिक-मौलिक-लोकतांत्रिक एवं समानता के अधिकारों का दिन बन गया। यह दिन भारतीय लोकतंत्र और संसदीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों का हिस्सा रहेगा। तीन तलाक कानून का किसी मजहब, किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं था, शुद्ध रूप से यह कानून एक कुप्रथा, क्रूरता, सामाजिक बुराई और लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए पारित किया गया।

आपदाओं का स्वरूप, फ्रीक्वेंसी और बढ़ी है तीव्रता

इसीलिए हमें अपनी तैयारियों को अधिक पैना और व्यापक करना होगा

ब्यूरो

प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि के इस दशक में, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय द्वारा किए गए परिवर्तनकारी उपायों की एक श्रृंखला ने भारत को लचीलेपन के प्रतीक के रूप में उभरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन उपायों ने देश को आपदाओं के प्रति अधिक तैयार, संगठित और सक्षम बनाया है। इस परिवर्तन के केंद्र में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सावधानीपूर्वक तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाएं हैं। 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई और 2019 में संशोधित की गई ये योजनाएं, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क के साथ सहजता से संरेखित होती हैं, जो जोखिमों को कम करने और प्रतिक्रियाओं के समन्वय के लिए एक मजबूत खाका प्रदान करती हैं।

केंद्र सरकार का दृष्टिकोण राष्ट्रीय सीमाओं को लेकर व्यापक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व के कारण वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) का शुभारंभ हुआ। फंडिंग समर्थन में ₹480 करोड़ की प्रतिबद्धता के साथ, सीडीआरआई ने तेजी से अपनी सदस्यता का विस्तार किया है, जिससे 31 देश और आठ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन मिला है।

वित्तीय सहायता आवश्यक लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए पर्याप्त आवंटन के साथ-साथ राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष की स्थापना, राज्यों को अनुकूलित शमन पहल निष्पादित करने का अधिकार देती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी समुदाय असुरक्षित न रहे। केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए ₹13,693 करोड़ के आवंटन के साथ राष्ट्रीय आपदा शमन कोष की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, सभी 28 राज्यों को कवर करते हुए राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए ₹32,031 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है।

जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होती है, वैसे-वैसे भारत का आपदा प्रबंधन शस्त्रागार भी परिष्कृत हो रहा है। केंद्रीय एजेंसियों ने आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके अपनी प्रारंभिक चेतावनी क्षमताओं को बेहतर बनाया है, जिससे आपदाओं के खिलाफ देश की तैयारी और प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इन प्रयासों में मेघदूत, मौसम और दामिनी जैसे उपयोगकर्ता-अनुकूल ऐप्स की शुरुआत शामिल है, जो सटीक पूर्वानुमान और समय पर चेतावनी प्रदान करने में सहायक हैं।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की अग्रिम चेतावनियों और बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रयों के निर्माण के साथ, राष्ट्र ने चक्रवात से संबंधित मौतों को काफी कम कर दिया है। 1999 में ओडिशा में सुपर चक्रवात की तबाही से लेकर हाल ही में गुजरात में चक्रवात बिपरजॉय की तबाही तक, बदलाव स्पष्ट है-हजारों लोगों की मौत से लेकर शून्य हताहत तक दर्ज की गई।

लचीलेपन की इस दशक की लंबी गाथा में, भारत ने न केवल अपने आपदा प्रबंधन परिदृश्य को बदल दिया है, बल्कि दुनिया के लिए एक उदाहरण भी स्थापित किया है। अपने मूल में नवाचार, सहयोग और सामुदायिक सशक्तीकरण के साथ, भारत ऐसे भविष्य की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। जहां आपदाएं अब विनाश का पर्याय नहीं होंगी, बल्कि उनका सामना पूरी क्षमता और प्रतिबद्धता के साथ किया जाएगा।

त्वरित समाधान के लिए तत्पर गृह मंत्रालय

हर चुनौती के त्वरित समाधान के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार अलर्ट मोड में काम कर रहा है। इसी क्रम में साइबर अपराधियों द्वारा पुलिस, एनसीबी, सीबीआई, आरबीआई और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों का रूप धारण कर साइबर अपराधियों द्वारा 'ब्लैकमेल' और 'डिजिटल अरेस्ट' की घटनाओं के खिलाफ अलर्ट जारी किया।

ब्यूरो

हाल के समय में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर साइबर अपराधियों द्वारा पुलिस अधिकारियों, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), नारकोटिक्स विभाग (एनसीबी), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां का रूप धारण कर धमकी, ब्लैकमेल, जबरन वसूली और 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी वारदातों को अंजाम देने के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। ऐसी घटनाओं की बढ़ती संख्या चिंताजनक है, जहां साइबर अपराधी पुलिस अधिकारियों, केंद्रीय जांच ब्यूरो, नारकोटिक्स विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के रूप धारण कर लोगों को धमकी, ब्लैकमेल, जबरन वसूली और 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इन मामलों में अपराधी फर्जी पहचान और अधिकारियों के रूप में सामने आकर लोगों को डराते हैं और उनसे धन की मांग करते हैं। ये घटनाएं न केवल आम जनता को मानसिक और आर्थिक नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचा रही हैं।

देश भर में कई पीड़ितों ने ऐसे अपराधियों के जाल में फंस कर बड़ी मात्रा में धन गंवाया है। यह एक संगठित ऑनलाइन आर्थिक अपराध है और ऐसा माना जाता है कि इसे सीमापार आपराधिक सिंडिकेट द्वारा संचालित किया जाता है। धोखेबाज आमतौर पर संभावित पीड़ित को कॉल करते हैं और कहते हैं कि पीड़ित ने कोई पार्सल भेजा है या प्राप्त किया है जिसमें अवैध सामान, ड्रग्स, नकली पासपोर्ट या कोई अन्य प्रतिबंधित वस्तु है। कभी-कभी, वे यह भी सूचित करते हैं कि पीड़ित का कोई करीबी या प्रिय व्यक्ति किसी अपराध या दुर्घटना में शामिल पाया गया है और उनकी हिरासत में है। ऐसे कथित 'केस' में समझौता करने के लिए पैसे की मांग की जाती है। कुछ मामलों में, पीड़ितों को 'डिजिटल अरेस्ट' का सामना करना पड़ता है और उनकी मांग पूरी न होने तक पीड़ित को स्काइप या अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर धोखेबाजों के लिए उपलब्ध रहने पर मजबूर किया जाता है। ये जालसाज पुलिस स्टेशनों और सरकारी कार्यालयों की तर्ज पर बनाए गए स्टूडियो का उपयोग करने में माहिर होते हैं और असली दिखने के लिए वर्दी पहनते हैं।

इन घटनाओं को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार त्वरित कार्रवाई करता रहा है। कई अवसरों पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अधिकारियों से कहा है कि जनहित और देशहित से जुड़े मसलों को प्राथमिकता के आधार पर हल करना है।

गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), देश में साइबर अपराध से निपटने से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करता है। गृह मंत्रालय इन साइबर अपराधों से निपटने के लिए अन्य मंत्रालयों और उनकी एजेंसियों, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ऐसे मामलों की पहचान और जांच के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों को इनपुट और तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से ऐसी गतिविधियों में शामिल 1,000 से अधिक स्काइप आईडी को भी ब्लॉक कर दिया है। यह धोखेबाजों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिम कार्ड, मोबाइल उपकरणों और म्यूल खातों को ब्लॉक करने में भी मदद कर रहा है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साइबर दोस्त (Cyber Dost) पर इन्फोग्राफिक्स और वीडियो के माध्यम से विभिन्न अलर्ट भी जारी किए हैं, जैसे कि , फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि नागरिकों को इस प्रकार की जालसाजी से सावधान रहने और इनके बारे में जागरुकता फैलाने की सलाह दी जाती है। ऐसी कॉल आने पर नागरिकों को तत्काल साइबरक्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर सहायता के लिए इसे रिपोर्ट करना चाहिए।

आतंकवाद विरोधी कानूनों को मजबूत किया

ब्यूरो

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत सरकार ने सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, आतंकवाद के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति को लगातार बरकरार रखा है। यह दृढ़ दृष्टिकोण 2 अगस्त, 2019 को उस समय और मजबूत हुआ, जब संसद ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 पारित किया।

संसद में विधेयक पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कड़े आतंकवाद विरोधी कानूनों के लिए सरकार के समर्थन पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत कानून का समर्थन किया है और पहले भी इस दिशा में किसी भी संशोधन के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। भारत से आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के लिए एक सख्त कानून की जरूरत है और हम हमेशा इसका समर्थन करेंगे। श्री शाह ने सदन से विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने का आग्रह किया था, जिससे विश्व स्तर पर एक शक्तिशाली संदेश जाए कि आतंकवादी मानवता के दुश्मन हैं और भारत अपनी धरती से आतंक को खत्म करने के लिए दृढ़ है।

श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और आश्वासन दिया कि सरकार सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी धर्म के व्यक्ति पीड़ित न हों। संशोधन विधेयक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक को आतंकवाद की आय के माध्यम से अर्जित संपत्तियों को संलग्न करने, प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और राज्य के पुलिस महानिदेशकों से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की पिछली आवश्यकता के कारण होने वाली देरी को समाप्त करने का अधिकार देता है।

एनआईए की दक्षता पर प्रकाश डालते हुए, श्री शाह ने इसकी प्रभावशाली 91% सजा दर का उल्लेख किया, जो वैश्विक मानकों द्वारा उत्कृष्टता का एक मानक है। संशोधन यूएपीए के तहत मामलों की जांच करने, एनआईए के भीतर मानव संसाधन की कमी को दूर करने और आतंकवाद से संबंधित मामलों में न्याय प्रदान करने में तेजी लाने के लिए निरीक्षकों और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को भी सशक्त बनाता है।

यह कदम न केवल एनआईए की कार्यक्षमता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है बल्कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को और अधिक प्रभावी बनाने में भी सहायक साबित होगा। सरकार का यह प्रयास स्पष्ट रूप से देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

श्री शाह ने बताया कि आतंकवादी कृत्य सिर्फ संगठनों द्वारा नहीं, बल्कि व्यक्तियों द्वारा किये जाते हैं। इन कृत्यों के पीछे व्यक्तियों को निशाना बनाए बिना केवल संगठनों को आतंकवादी संस्था घोषित करने से उन्हें कानून से बचने और विभिन्न आड़ में अपनी गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति मिल जाएगी। नया संशोधन यह सुनिश्चित करता है कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों, ऐसी गतिविधियों को सहायता और बढ़ावा देने वाले, आतंकवादी विचारधाराओं का प्रचार करने वाले और ज्ञात आतंकवादी संगठनों के सदस्यों को आतंकवादी के रूप में नामित किया जाएगा।

हमने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत कानून का समर्थन किया है। पहले भी इस दिशा में किसी भी संशोधन के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। भारत से आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के लिए एक सख्त कानून की जरूरत है और हम हमेशा इसका समर्थन करेंगे।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

आतंकवाद को एक वैश्विक समस्या के रूप में मान्यता देते हुए, श्री शाह ने उल्लेख किया कि संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य देशों में व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने के समान प्रावधान हैं। यह संशोधन भारत के कानूनी ढांचे को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाता है, जिससे आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने की उसकी प्रतिबद्धता मजबूत होती है।

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 का पारित होना, आतंकवाद के खिलाफ भारत की अथक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने और प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सुरक्षा बलों की मजबूती से दिख रहे हैं

ब्यूरो

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल के वर्षों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के मनोबल को ऊंचा किया है, वह अप्रतिम है। सरकार इन सुरक्षा बलों को तमाम सुविधाओं से युक्त कर रही है। समय के अनुरूप आधुनिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कर उचित कदम उठाए गए हैं। उसके सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। सरकार सुरक्षा रिक्तता को भरने के लिए विशिष्ट रणनीति के साथ काम कर रही है।

बिहार के बरमसिया, चकरबंदा और झारखंड के बूढ़ापहाड़, पारसनाथ जैसे माओवादियों के गढ़ों में सुरक्षा शिविर स्थापित करके सुरक्षा शून्यता को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महत्ती भूमिका है। बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र को झारखंड पुलिस व केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने मिलकर नक्सल मुक्त करवा लिया है। इस क्षेत्र में नक्सली फिर से नहीं पहुंचे, इसका ख्याल रखते हुए सुरक्षा बलों की जंगलों में चहलकदमी जारी है। तीन दशक तक नक्सलियों के कब्जे में रहने के बाद मुक्त हुए छत्तीसगढ़ से सटी सीमा पर गढ़वा-लातेहार क्षेत्र स्थित बूढ़ा पहाड़ पर अब विकास की रफ्तार तेज होगी। बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में बड़ी संख्या

सकारात्मक परिणाम

में गांव हैं, जहां के ग्रामीणों में असुरक्षा का भाव रहा है। वर्षों से नक्सलियों से शोषित होने के चलते ग्रामीणों में सुरक्षा का भरोसा दिलाना भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।

अपने कब्जे में लेने के बाद सुरक्षा बलों ने बूढ़ा पहाड़ के टॉप पर तिसिया और नावाटोली में पुलिस कैंप की स्थापना भी की। शुरूआती दौर में दोनों कैंपो में कोबरा, जगुआर और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 400 जवानों को तैनात किया गया। तिसिया और बूढ़ा पहाड़ में हेलीपैड भी बनाया गया है।

2023 में 33 नए शिविरों सहित 200 से अधिक शिविर खोले गए हैं। अंतरराज्यीय सीमा पार गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, राज्य पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्यों के विशेष पुलिस बलों और एफओबी के घटकों के साथ 11 संयुक्त कार्य बल स्थापित किए गए हैं। बीते वर्ष तीन और जेटीएफ शिविरों की योजना बनाई गई, जिनमें से जेटीएफ अलीगुडेम के लिए पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और सीआरपीएफ को एक करोड़ रुपये जारी किए गए।

बूढ़ा पहाड़ जब नक्सल मुक्त हुआ था, तो उसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के तत्कालीन महानिदेशक श्री डीजी कुलदीप सिंह की ओर से कहा गया था कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के परिणामस्वरूप ऑपरेशन ऑक्टोपस को अंजाम दिया। राज्य पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ सेना के जवानों को हेलिकॉप्टर के जरिए तीन राज्यों की सीमा पर स्थित इस क्षेत्र में रसद के साथ पहुंचाया गया। सेना के जवानों ने बूढ़ा पहाड़ पर स्थायी कैंप बनाया। जिस तत्परता के साथ इस काम को अंजाम तक पहुंचाया गया, वह प्रशंसनीय है। बूढ़ा पहाड़, जंगल का दुर्गम इलाका हमेशा से नक्सलियों का गढ़ रहा। भौगोलिक स्थिति के कारण यहां सुरक्षा बल पहुंच नहीं पाते थे और यह नक्सलियों की सबसे सुरक्षित पनाहगाह था। सरकार के नेतृत्व में हुए इस खास अभियान ने वामपंथी उग्रवाद की कमर पर कड़ा प्रहार किया।

दशकों से वामपंथी उग्रवाद का गढ़ रहे बिहार-झारखंड के बूढ़ा पहाड़, चक्रबंधा और पारसनाथ के क्षेत्रों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने ने स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय बनाते हुए उग्रवाद से मुक्त करवाया है।

श्री अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

यूं तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राज्य पुलिस बल के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के तमाम संगठन काम कर रहे हैं। कई विशेष अवसरों पर भारतीय सेना भी इनकी सहायता करती है। लेकिन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस

बल के पास नक्सलियों के साथ मुठभेड़ का व्यापक अनुभव है। अपने त्याग और बलिदान से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों-अधिकारियों ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस पर जब भी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री उपस्थित होते हैं, तो उनके यश और शौर्य की प्रशंसा करते हैं।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 84वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कहा था कि सीआरपीएफ पहली बार वामपंथी उग्रवाद के केंद्र छत्तीसगढ़ के बस्तर में अपनी स्थापना दिवस परेड आयोजित कर रहा है और यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के अभियान के दौरान बल के 763 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई विजय के निर्णायक पड़ाव पर है, उसमें शहीद जवानों का बहुत बड़ा योगदान है।

श्री अमित शाह ने कहा कि चाहे जम्मू- कश्मीर का क्षेत्र हो, नॉर्थईस्ट की अशांति के खिलाफ लड़ना हो या फिर वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ते हुए आदिवासियों तक विकास को पहुंचाना हो, हर क्षेत्र में सीआरपीएफ के जवानों ने अप्रतिम शौर्य और बहादुरी का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि देश में आंतरिक सुरक्षा और शांति दोनों के लिए जनता का सम्पूर्ण भरोसा सीआरपीएफ के जवानों पर है, जो उनके साहस और शौर्य से ही निर्मित हुआ है। ■

पासिंग आउट परेड में राजपत्रित अधिकारियों की चमक

सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों के लिए 29 अप्रैल का दिन बहुत खास रहा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 22 सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों के 54वें बैच की पासिंग आउट परेड गुरुग्राम में सीआरपीएफ अकादमी में आयोजित की गई। विभिन्न प्रकार की 52 हफ्तों की सख्त ट्रेनिंग पूरी करके अधिकारी बने इन युवाओं को पहली नियुक्ति कंपनी कमांडर के तौर पर दी जाएगी। इस बैच को परेड से जो प्रशिक्षण दिया गया उसमें आग्नेयास्त्र संचालन, कानून प्रवर्तन, प्रबंधन, मानवाधिकार, वीआईपी सुरक्षा, कानून और व्यवस्था रखरखाव, शारीरिक फिटनेस, निहत्थे युद्ध, फील्ड इंजीनियरिंग, आईईडी मॉड्यूल, फील्डक्राफ्ट, जंगल अस्तित्व आदि विषयों के अलावा काफी कुछ शामिल किया गया था। पासिंग आउट परेड समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में सीआरपीएफ के महानिदेशक, अनीश दयाल सिंह ने अध्यक्षता की। परेड की कमान प्रशिक्षुओं में से एक विनय जावला ने संभाली, जिन्होंने न केवल विशिष्टता के साथ नेतृत्व किया, बल्कि गृह मंत्री की ट्रॉफी, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और आउटडोर ट्रेनिंग में सर्वश्रेष्ठ ट्रॉफी हासिल की है। इनडोर विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए साहिल छिकारा और उत्कृष्ट शारीरिक प्रशिक्षण क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए श्री अंशुल मिश्रा को भी विशेष सम्मान दिया गया। सीआरपीएफ के महानिदेशक, श्री अनीश दयाल सिंह ने 52 सप्ताह के कठिन बुनियादी प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद स्नातक अधिकारियों और उनके परिवारों को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य 'सेवा और निष्ठा' उनके पूरे करियर में हमेशा मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करेगा। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि प्रशिक्षण के दौरान की गई कड़ी मेहनत से यह युवा अधिकारी सीआरपीएफ को सम्मान और गौरव दिला सकेंगे और देश की आंतरिक सुरक्षा सुरक्षित हाथों में है। इस मौके पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी कमांडर के रूप में काम करने वाले इन युवा अधिकारियों को 'राष्ट्र प्रथम' की भावना को प्राथमिकता देने और देश की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

सतर्कता से हुई सुरक्षा

ब्यूरो

रेमल चक्रवात से भारतीय क्षेत्र में जानमाल का अधिक नुकसान नहीं हो, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने सरकारी आवास पर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री को बताया गया कि राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति पश्चिम बंगाल सरकार के साथ नियमित संपर्क में है। सभी मछुआरों को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में और अंडमान सागर में नहीं जाने की सलाह दी गई है। करीब एक लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मौसम विभाग नियमित अपडेट के साथ बांग्लादेश को सूचना संबंधी सहायता भी प्रदान कर रहा है। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, एनडीआरएफ के महानिदेशक, आईएमडी के महानिदेशक और एनडीएमए के सदस्य सचिव भी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने राज्य सरकार को पूरा समर्थन दिया है और आगे भी देना जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय को स्थिति की निगरानी करनी चाहिए और चक्रवात के पहुंचने के बाद समीक्षा करनी चाहिए ताकि सामान्य जीवन बहाल करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके।

प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में पहले से ही तैनात एनडीआरएफ की 12 टीमों और ओडिशा में एक टीम के अलावा, अधिक टीमों को तैयार रखने निर्देश दिया है जो एक घंटे के भीतर आगे बढ़ सकें। भारतीय तटरक्षक किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अपनी परिसंपत्ति तैनात करेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए बंदरगाहों, रेलवे और राजमार्गों पर कड़ी सतर्कता बरती जा रही है।

भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, चक्रवाती तूफान के 26 मई के आधी रात तक मोंगला (बांग्लादेश) के दक्षिण पश्चिम के करीब सागर द्वीप और खेपुपारा के बीच बांग्लादेश और आसपास के पश्चिम बंगाल तटों को पार करने की संभावना जताई गई थी।

भौगोलिक और पारिस्थिकीय कारणों से भारत को समय-समय पर चक्रवात का सामना करना पड़ता है। मई में जब बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग के ऊपर 'रेमल' चक्रवात आने की सूचना मिली, तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों से व्यापक विमर्श करके इससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने स्पष्टतौर पर कहा कि कहा कि भारत सरकार ने राज्य सरकार को पूरा सहयोग दिया है और आगे भी करती रहेगी।

मौसम विज्ञान विभाग की ओर से पहले ही बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात रेमल को लेकर पूर्व सूचना दी गई थी। पश्चिम बंगाल और पड़ोसी देश बांग्लादेश के तट से टकराने से पूर्व ही कई एहतियाती कदम उठाए गए। इसी क्रम में कोलकता एयरपोर्ट को भी 21 घंटों के लिए बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही इलाके में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई। चक्रवात रेमल के चलते कोलकाता में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया, जहां से आपदा की स्थित में कॉल कर मदद और जरूरी जानकारियां देने की बात कही गई। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 1070 और 033 22143526 जारी कर दिया गया था।

परिवर्तनकारी निर्णय: पूरे भारत में बदल रहा है सुरक्षा परिदृश्य

पंकज कुमार सिंह

प्रभावी शासन को अक्सर प्रभावशाली निर्णयों द्वारा परिभाषित किया जाता है, जो किसी भी राष्ट्र को प्रगति और समावेशिता की ओर ले जाते हैं। पिछले 10 वर्षों में, केंद्र सरकार, विशेष रूप से गृह मंत्रालय ने देश की आंतरिक स्थिरता कायम रखने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहल की हैं।

इन महत्वपूर्ण निर्णयों में से कई के पीछे मूल विचार में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच अच्छा समन्वय, इसकी विविधता के बीच राष्ट्र की एकता को और सुदृढ़ करना और विभिन्न कारकों के संयोजन से उत्पन्न होने वाली आंतरिक गड़बड़ियों पर अंकुश लगाना था।

ऐसे दूरगामी निर्णयों के पीछे समग्र लक्ष्य-सर्वत्र शांति बनाए रखना, कुशल पुलिसिंग और प्रभावी न्याय वितरण सुनिश्चित करके राष्ट्र तथा उसके नागरिकों की समग्र भलाई, सुरक्षा और समृद्धि के लाभ के लिए अनुकूल पर्यावरण बनाना था।

पुराने आपराधिक कानूनों को निरस्त करना और नए कानूनों को अपनाना, देश की वर्तमान वास्तविकताओं को दशार्ता है। भारतीय लोकाचार और संस्कृति को प्रतिबिंबित करने के लिए इन कानूनों का नाम बदला गया है। जैसे कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023-पुरातन ब्रिटिश औपनिवेशिक युग से प्रस्थान का प्रतीक है, जिसमें सजा से ज्यादा न्याय व पारदर्शिता पर बल दिया गया है।

पिछले दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने धार्मिक कट्टरवाद और आतंकवाद पर सख्त दृष्टिकोण अपनाया है। आतंकवाद और उग्रवाद को लेकर सरकार की शून्य-सहिष्णुता नीतियों और कार्यों के प्रतिफल से ये ताकतें आज रक्षात्मक मुद्रा में हैं।

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने यूएपीए समेत संबंधित कई अधिनियमों में आवश्यक संशोधन किए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को विदेशों में भारतीयों और भारतीय हितों से संबंधित आतंकी अपराधों की जांच करने का नया अधिकार दिया गया है। नए आपराधिक कानूनों ने आपराधिक तत्व की अनुपस्थिति में भी मुकदमे की अनुमति देकर इस बदलाव को और मजबूत किया है।

संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करना जम्मू-कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक कदम था। बीते पांच वर्षों में, नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ, जम्मू-कश्मीर ने सुरक्षा चुनौतियों के प्रभावी प्रबंधन और विकासात्मक अवसरों तक पहुंच के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति का अनुभव किया है। इसके परिणामस्वरूप आतंकवाद में कमी आई है और सकारात्मक परिणामों में सर्वांगीण वृद्धि हुई है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश अब हर मौसम के लिए चहेते पर्यटक क्षेत्र बन रहे हैं।

वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए भी राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना माओवादी गतिविधियों को कम करने में अत्यन्त प्रभावी रही है, जिससे प्रभावित राज्यों में हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है। सुरक्षा प्रतिघातों से निपटने में राज्य पुलिस बलों के सहयोग से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भागीदारी महत्वपूर्ण रही है। पुलिस बलों द्वारा किए गए वीरतापूर्ण बलिदानों की मान्यता में, सरकार ने राज्यों में इसी तरह की पहल के साथ, पुलिस वीरता और बलिदान के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना की है।

भारत की तटरेखा 7516.6 किलोमीटर है और देश की सुरक्षा के इस पहलू को मजबूत करने के लिए, गश्त प्रणाली में आवश्यक सुधार दिया गया है। सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए द्विवार्षिक तटीय सुरक्षा अभ्यास 'सागर कवच' नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। विवरणों पर ध्यान देते हुए गैर-प्रमुख बंदरगाहों पर भी कार्यान्वयन के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जारी किए गए हैं।

गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) परियोजना, एक सामान्य एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर के तहत पुलिस स्टेशनों को आपस में जोड़ती है, जिससे जांच, डेटा विश्लेषण, अनुसंधान, नीति निर्माण और शिकायत रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग जैसी नागरिक सेवाओं की सुविधा मिलती है। इसने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए संबंधित लाभों के साथ एक केंद्रीकृत अपराध और आपराधिक सूचना भंडार बनाया है।

'गरीब कैदियों को सहायता' योजना जमानत या जुर्माना वहन करने में असमर्थ कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। गृह मंत्रालय द्वारा शुरु किया गया यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीएसओ) 16.10 लाख से अधिक व्यक्तियों के डेटा के साथ यौन अपराधियों की जांच और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है।

राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS) की स्थापना आपराधिक फिंगरप्रिंट का एक राष्ट्रीय स्तर पर खोज योग्य भंडार प्रदान करती है। इसी क्रम में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालयों (NFSUs) की स्थापना आपराधिक जांच में सुधार के लिए फोरेंसिक विज्ञान में गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति की आवश्यकता को संबोधित करती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ सीमाओं को मजबूत करने के साथ-साथ नशीली दवाओं से मुक्त वातावरण के लिए अपने अभियानों पर फिर से विचार किया है।

कई विधी-संगत और कार्यकारी निर्णयों के फलस्वरुप देश के संपूर्ण सुरक्षा परिदृश्य में व्यापक सुधार आया है। जिस गंभीरता से ऐसे प्रयास किए गए हैं, वह आम आदमी की भलाई को प्राथमिकता देने का सूचक है, जो राष्ट्रीय हित का परम कर्तव्य है।

(लेखक उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार)

किसी भी आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षण अति महत्वपूर्ण होता है। इससे बहुमूल्य जानों को बचाया जा सकता है। बी.टी.सी. भानु, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 2159 रिकरुटों को इसका बुनियादी प्रशिक्षण दिया गया। इन्होंने 11 मई को एनआईटीएसआरडीआर के प्रशिक्षक से जीवन रक्षक तकनीक सीखी।

सीआईएसएफ का एक यह कदम है स्वच्छता की ओर। इसके तहत VSTPP विन्ध्नगर के सीआईएसएफ जवानों ने Meri LiFE #SwachhBharat अभियान के तहत सफाई अभियान 7 मई को चलाया।

24 मई सीमा सुरक्षा बल के 17 सदस्यों को पदकों से अलंकृत किया गया, जिनमें 10 सदस्यों को वीरता के लिए पुलिस पदक (पीएमजी) और 07 सदस्यों को जीवन रक्षा पदक (जेआरपी) से सम्मानित किया गया। 21वें सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल ने इन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला और निदेशक आईबी श्री तपन कुमार डेका भी उपस्थित थे।

भारत के वीर

देश के जवानों को श्रद्धांजलि और समर्थन https://bharatkeveer.gov.in

दिशा-निर्देश

- आप सीधे भारत के वीर के खाते में (अधिकतम ₹15 लाख तक) दान कर सकते हैं या भारत के वीर कोष में दान कर सकते हैं।
- अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, प्रति वीर ₹15 लाख की सीमा तय की गई है और यदि राशि ₹15 लाख से अधिक है तो दाता को सतर्क किया जाएगा, ताकि वे या तो अपने योगदान को कम करने या योगदान के हिस्से को किसी अन्य भारत के वीर के खाते में डालने का विकल्प चुन सकें।
- भारत के वीर फंड का प्रबंधन प्रतिष्ठित व्यक्तियों और समान संख्या में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जो आवश्यकता के आधार पर भारत के वीर परिवार को समान रूप से फंड वितरित करने का निर्णय लेंगे।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के लिए फार्च्यूना पब्लिक रिलेशंस प्रा. लि. नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित व विबा प्रेस प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित

> भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पारित होना हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक औपनिवेशिक युग के कानूनों का अंत करते हैं। सार्वजनिक सेवा और कल्याण पर केंद्रित कानूनों के साथ एक नए युग की शुरूआत हुई है।
>
> **श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री**

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110037